

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 30 / 2019

दायर दिनांक 19.12.2019

उनवान

1. भैरूलाल पिता शंकरलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. मगनीराम पिता सिरीलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. वजेलाल पिता हीरालाल जी जाति ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. मोहनलाल पिता हीरालाल जी जाति ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
3. भगवतीलाल पिता प्रताप लाल जी जाति ब्राह्मण निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 17.03.2020

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा पटोलिया पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 239 में स्थित आराजी संख्या 2328 रकबा 1.30 है0 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पटोलिया

पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 239 में स्थित आराजी संख्या 2328 रकबा 1.30 है0 स्थित है की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी मौके पर विवाद न हो, व फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर